न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./6613 /2002/भरतपुर

सुभानखाँ पुत्र हनायत खाँ, कौम मेव, निवासी ग्राम बलदेववास, तहसील डीग, जिला भरतपुर ।

अपीलाण्ट

बनाम

1.जीवनदास पुत्र ताराचंद(मृतक)जरिए कायममुकामः–
1/1 कुलभूषण पुत्र जीवनदास
2 वीरमबाई (मृतक)बेवा ताराचंद जरिए कायममुकामः–
2/1 रधुवीर पुत्र ताराचंद
समस्त जाति खत्री निवासी बहोडा की तहसील जिला भरतपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री यज्ञदत्तशर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2
रेस्पोडेण्ट संख्या 2/1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

निर्णय

दिनांक 10.8.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी जीवनदास द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 रघुवीर के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 330, 173, 333 , 332, 166, 167 किता 6/7.6 बिस्वा पर वादी संवत 2012 से काबिज काश्त है । प्रतिवादी रघुवीर के द्वारा गलत प्रकार से नामान्तकरण तस्दीक करा लिया जब कि मृतक ताराचंद की भूमि में वादी व प्रतिवादी का हिस्सा बराबर है । प्रतिवादी ने खसरा नंबर 173, 166, 167 को बयनामा 1979 में सुभानखां को करा दिया जब कि उसे इस बेचान का कोई हक नहीं था । अतः दावा डिक्री कर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । सहायक कलेक्टर, डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8-1-2001 से दावा डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8-11-2002 द्वारा अपील खारिज कर दी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

सहायक कलेक्टर, डीग ने अपने निर्णय दिनांक 8-1-2001 द्वारा वादी जीवनदास के दावे को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि आराजी खसरा नंबर 330/1-16, 173/0-14, 333/1-12, 332/1-15, 166/0-16, 167/0713 कुल किता 6 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम बहोडा की तहसील डीग के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आराजी खसरा नंबर 166/0-16, 167/0-13 व 173/0-14 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कराया गया बयनामा वादी के मुकाबले प्रभावशून्य घोषित किया जाता है ।

उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । उन्होंने अपने आदेश दिनांक 8-11-2002 में यह माना है कि तहत न्यायालय द्वारा जो

निर्णय पारित किया है । अपीलाण्ट द्वारा जो अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध पेश की है उसके द्वारा केवल खसरा नंबर 166, 167, 173 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ही क्रय करना बताया गया है अन्य नंबरान से उसका कोई संबंध नहीं है और रघुवीर के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है । अपीलाण्ट द्वारा जो खसरा नंबर क्रय किए जाने की बात कही है उसे भी उसने रजिस्टर्ड बयनामा की मूल प्रति अथवा प्रमाणित प्रति न तो अधीनस्थ न्यायालय में ही और न ही अदालत हाजा में पेश की है जिससे कि उसे किसी प्रकार की रिलीफ दी जा सके और अपील खारिज कर दी ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 8-11-2002 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषकगण अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट/वादी नंबर 1का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा जिसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को वाद दायर करने का अधिकार नहीं था । उनका कथन है कि उसने रेकार्डेड खातेदार को भुगतान करके भूमि का जरिए रजिस्टर्ड सेलडीड से क्रय किया था यह क्रय दिनांक 4-8-79 को किया गया था । रघुवीर अपना पूरा हिस्सा बेच चुका था जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार राजीनामा नहीं कर सकता था । जब रघुवीर द्वारा एक बार भूमि का विक्रय कर दिया तो वह राजीनामा करने से प्रतिबंधित था । न्यायालय में उसके द्वारा आवश्यक दस्तावेजी भी आदेश 41नियम 27 सीपीसी के अन्तर्गत पेश किए थे जिसका विवेचन उन्होंने अपने निर्णय में नहीं किया है । जीवनदास ने सिविल कोर्ट में विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत किया था जिससे जीवनदास को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है । राजस्व न्यायालय को सेलडीड निरस्त

करने का अधिकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को निर्णित करना चाहिए । राजीनामें को आधार मानकर अपील खारिज की है, जो सही नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2013 पेज 603, डी.एन.जे. 2014 पेज 260, आर.बी.जे. 2018 पेज 287, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1121, ए.आई.आर. 1993 पेज 58, आर.आर.डी. 2005 पेज 94, आर.आर.टी. 2014(2) पेज1451 न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी ताराचंद की खातेदार की भूमि थी । ताराचंद के दो लडके जीवनदास व रघुवीर हुए । ताराचंद की मृत्यु के समय खातेदारी का इन्तकाल केवल रघुवीर के नाम दर्ज कर दिया । रघुवीर अकेले ताराचंद की पूर्ण भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । ताराचंद की मृत्यु होने पर पत्नि व पुत्र-पुत्री का सभी का बराबर का हक व अधिकार था जिसे इन्तकाल सभी के नाम बराबर खोला जाना चाहिए था जिससे यह इन्तकाल जो केवल रघुवीर के नाम खोला गया वह प्रारंभ से ही शून्य है और रघुवीर के द्वारा जो बेचान किया गया है वह भी प्रारंभ से ही शून्य था । रघुवीर को 1/2 हिस्से की जमीन को बेचने का अधिकार था । सेलडीड को प्रस्तुत नहीं किया गया है। फोटो प्रति साक्ष्य में नहीं पढी जा सकती है । दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावें।

6. प्रतिउत्तर में अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि विवादित भूमि इन्तकाल नंबर 26 में रघुवीर के नाम थी और इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी है । यदि इन्हें किसी प्रकार से आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में इन्हें चुनौती देनी चाहिए और अपने अधिकार सिविल कोर्ट से तय करवाने चाहिए ।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह निर्विवाद सत्य है कि विवादित आराजीयात ताराचंद के नाम दर्ज थी एवं ताराचंद के दो पुत्र थे इन्तकाल केवल एक पुत्र रघुवीर के नाम दर्ज हो गया और रघुवीर द्वारा कुछ भूमि का बेचान अपीलाण्ट सुभानखाँ को कर दिया गया । अपीलाण्ट सुभानखाँ के द्वारा विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय में इस बेचाननामें की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अपील में अवश्य यह कह कर आये हैं कि उनके द्वारा भूमि का क्रय किया गया है । आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किए है उसमें भी इस सेलडीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की है । पिता की भूमि में सभी वारिसों को बराबर का हक व अधिकार है जब तक कि इसे अन्यथा प्रमाणित नहीं कर दिया जावे। रेकार्ड में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि ताराचंद की भूमि पर विरासत का हक केवल एक पुत्र रघुवीर को था । पिता की सम्पत्ति में सभी हिस्सेदार का हक व हिस्सा बराबर का होता है । विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट सुभानखाँ पक्षकार था तो उन्हें अपने अधिकारों व हकों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी । राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां भी उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । जब विक्रय पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसको अब द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा जो विवाद्यक बनाये गए थे उनका पूर्ण विवेचन कर अपना स्पष्ट निर्णय दिया है और अपीलीय न्यायालय ने भी विधिअनुसार सही निर्णय पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत एवं समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचितय नही है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष